न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 23/2014

बउनवान

चमेलीबाई बेवा लटूरलाल आयु 52 वर्ष जाति–मीणा निवासी–बमूलिया तहसील–बारां जिला–बारां (राज0) **(अपीलांटा)**

बनाम

1– मन्नू पुत्री धन्नालाल पत्नी बद्रीलाल जाति–मीणा निवासी–बमूलिया तहसील–बारां जिला हाल निवासी कालाखेडा तहसील–बारां

2– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंट्स)**

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज0)

अपील बनाराजगी तहसीलदार–बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 292 दिनांक 22.07.2006 वाके ग्राम बमूलिया अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री हेमराज बैरवा, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. श्री बनेराज सिंह, अभिभाषक **(रेस्पोडेंट क्रम 1)**

निर्णय दिनांक– 08.05.2019

1– अपीलांटा ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलांटा के खाते व कब्जे काश्त की आराजी वाके माल बमूलिया तहसील बारां में आराजी ख0नं0 97/574 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 439 रकबा 0.68 है0, ख0नं0 463 रकबा 0.89 है0, ख0नं0 463/554 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 464 रकबा 0.34 है0 कुल किता 5 रकबा 2.14 है0 व ख0नं0 308 रकबा 2.02 है0, ख0नं0 323 रकबा 0.33 है0, ख0नं0 377 रकबा 0.09 है0, ख0नं0 378 रकबा 0.15 है0,ख0नं0 503 रकबा 1.87 है0, 504/388 रकबा 0.17 है0, ख0नं0 506 रकबा 0.68 है0 कुल 7 किता रकबा 5.31 है0 स्थित है जो वर्तमान में अपीलांट एवं रेस्पों0 के नाम खाते दर्ज है। अपीलांटा व रेस्पों0 का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है–

अमरलाल

धन्नालाल (मृतक) — सूरजमल मृतक (लाओलाद फौत) — बृजमोहन (लाओलाद फौत)

1– लटूरलाल (मृतक) — चमेलीबाई बेवा, जोधराज पुत्र, सुरेश पुत्र, बना पुत्र

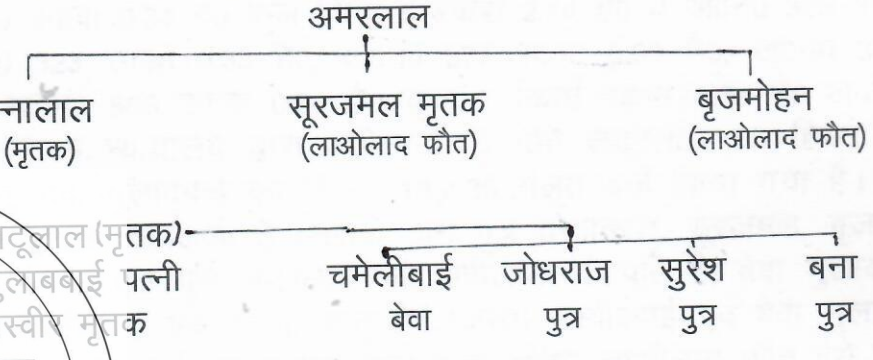

2– गुलाबबाई पत्नी

तस्वीर मृतक

मन्नू

मृतक लटूरलाल की जगह उसके पुत्र जोधराज, सुरेश व बना ने ग करके अपनी मॉ चमेलीबाई को उक्त आराजियात् का वारिस बना दिया है। अपीलांट के दादी ससुर के तीन पुत्र धन्नालाल, सूरजमल, बृजमोहन है जिसमें

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रकबा 0.15 हासरा नं0 506 रकबा 0.68 कुल 7 रकबा 5.31 हैक्टे

धन्नालाल के एक पुत्र लटूरलाल है व दो पुत्रियॉ व बेवा गुलाबबाई थी जिसमे से गुलाबबाई व तस्वीर फौत हो गई है व सूरजमल, बृजमोहन लाऔलाद फौत हो जाने के कारण इनका कियाकर्म अपीलांट के पति द्वारा किया गया एवं पगडी रस्म भी अपीलांट के पति/बेटो के बंधवाई गई। इस प्रकार सूरजमल व बृजमोहन के खाते की आराजी 1/3, 1/3 अपीलांट के पुत्रों के नाम दर्ज होनी थी। परन्तु इन्तकाल खोलते समय हल्का पटवारी ने गलत सजरा बनाकर इन्तकाल नं0 292 दिनांक 22.7.2006 खोला गया है, जिसमें लटूरलाल पुत्र धन्नालाल हिस्सा 1/9 मन्नू पुत्री धन्नालाल,गुलाब बेवा धन्नालाल हिस्सा 13/36 दर्शाया गया है जो गलत है। क्योकि उक्त इन्तकाल में मात्र लटूरलाल पुत्र धन्नालाल का हिस्सा ही 1/9 होना चाहिये था। क्योकि अनुसूचित जनजाति के अनुसार रेस्पों का कोई हक व अधिकार नहीं बनता है। इसलिये जो इन्तकाल खोला गया है वह कानूनी रूप से गलत होने से निरस्त होने योग्य है।

2— साथ हीं लिखा है कि रेस्पोडेंट का उक्त आराजी पर किसी प्रकार का हक हकूक प्राप्त नहीं है क्योकि राज.सरकार काश्तकारी अधिनियम के अनुसार अनु. जनजाति में बेटी का पिता की आराजी में किसी भी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं माना गया है। रेस्पों0 पैत्रिक चल अचल सम्पत्ति लेने की अधिकारणी नहीं है। अतः अपीलांटा की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया इन्तकाल नं0 292 दिनांक 22.07.2006 निरस्त फरमाया जावे।

3— इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में रेस्पों अभिभाषक को तलब किया गया। प्रकरण में बहस के दौरान अभिभाषक रेस्पों0 को रूक—रूक पर कई बार आवाज दिलवायी गयी। किन्तु इसके बावजूद रेस्पों0 अभिभाषक अनुपस्थित रहे है। प्रकरण में बहस अपीलांटां अभिभाषक की सुनी गयी।

4— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांटा ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलांटा व रेस्पों0 क्रम—1 के संयुक्त खातेदारी में ग्राम बमूलिया तह. बारां में आराजी ख0नं0 97/574 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 439 रकबा 0.68 है0, ख0नं0 463 रकबा 0.89 है0, ख0नं0 463/554 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 464 रकबा 0.34 है0 कुल किता 5 रकबा 2.14 है0 व ख0नं0 308 रकबा 2.02 है0, ख0नं0 323 रकबा 0.33 है0, ख0नं0 377 रकबा 0.09 है0, ख0नं0 378 रकबा 0.15 है0, ख0नं0 506 रकबा 0.68 है0 कुल 7 किता रकबा 5.31 है0 अवस्थित है। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटा के पति लटूरलाल का हिस्सा 1/6 व रेस्पों0 मन्नू बेवा गुलाबबाई का हिस्सा 13/36 गलत दर्ज किया गया है। अपीलांटा के दादी ससुर अमरलालजी है जिसके तीन पुत्र धन्नालाल, सूरजमल, बृजमोहन है। धन्नालाल जी के एक पुत्र लटूरलाल जो अपीलांटा के पति है, बेवा गुलाबबाई तथा पुत्री तस्वीरबाई एवं रेस्पों0 मन्नू है। जिसमें तस्वीरबाई का विवाह हो चुका है। इसी प्रकार सूरजमल व बृजमोहन लाऔलाद फौत हुये है जिनका कियाकर्म अपीलांटा के पति लटूरलाल ने की किया है तथा पगडी भी पति के बंधवाई प्रकार सूरजमल व बृजमोहन के खाते की आराजी हिस्सा 1/3, 1/3 अपीलांटा के पुत्रों के नाम दर्ज होना चाहिये था। क्योकि अनुसूचित जनजाति

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(मीणा जाति) में पुत्रियों को पिता की चल अचल सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं है। इन्तकाल नं0 292 तस्दीकी दिनांक 22.07.2006 इन्तकाल खोला गया है जिसमें लटूरलाल पुत्र धन्नालाल का हिस्सा 1/9 व मन्नू पुत्र धन्नालाल, गुलाब बेवा धन्नालाल हिस्सा 13/36 खोला गया है। इस तस्दीकी इन्तकाल में मात्र लटूरलाल का हिस्सा 1/9 हीं दर्ज किया गया है। जबकि बृजमोहन, सूरजमल की आराजी अपीलांटा व पुत्रान् जो लटूरलाल के वारिस है, के नाम दर्ज होना चाहिये क्योकि अनुसूचित जनजाति में रेस्पों0 पुत्रियों को अपने पिता की आराजी में कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं है। इसलिये रेस्पों0 विरासतन आराजी को प्राप्त करने की कानूनन अधिकारी नहीं है। अपने कथन के समर्थन में विधि दृष्टांत आर.आर.डी. 2015 पेज 606 की प्रति पेश की है। अतः इन्तकाल नं0 292 दिनांक 22.07.2006 निरस्त किया जाकर, उक्त आराजी अपीलांटा या उसके पुत्रों के खाते दर्ज की जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड व दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया जिससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा इन्तकाल संख्या 292 वाके ग्राम बमुल्या तस्दीकी दिनांक 22.07.2006 खोला गया है जिसके विरूद्व हस्तगत अपील पेश की गयी है। अपीलांटा ने अपील में मुख्य अनुतोष चाहा गया है कि अपीलांटा के पति लटूरलाल पुत्र धन्नालाल ने सूरजमल व बृजमोहन पुत्रान् अमरलाल की सेवासुश्रेषा की है तथा क्रियाकम व पगडी रस्म अदा की गयी है। सूरजमल व बृजमोहन लाऔलाद फौत हुये है जिनके हिस्से की आराजी उक्त इन्तकाल से रेस्पों0 के खाते दर्ज कर दी गयी है। जबकि मीणा जाति (अनुसूचित जनजाति) में पुत्रियो को पिता की सम्पत्ति में कोई हक अधिकार नहीं है। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत विधि दृष्टांत का अवलोकन किया गया। जिससे पाया जाता है कि अपीलांटा व रेस्पोंडेंट्स मीणा (अनुसूचित जनजाति) के सदस्य है तथा अपीलांटा द्वारा अपने समर्थन में विधि दृष्टांत आर0आर0डी0 पेज 606 पेश किये है। इसलिये पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को भेजकर वर्तमान प्रचलित नियमों के तहत जॉच कर, सहीं वारिसान् के नाम इन्तकाल दर्ज करने हेतु भिजवाना उचित समझते है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांटा की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा तस्दीकी नामान्तकरण संख्या 292 दिनांक 22.07.2006 वाके ग्राम बमुल्या तह. बारां निरस्त किया जाकर, पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि मृतक अमरलाल के जीवित वंशवृक्ष में वारिसान् अपीलांटा व रेस्पों0 को सुनकर, प्रचलित नियमों/अधिनियम की रोशनी में वैधानिक वारिसान् का हिस्सा निहित कर, सहीं इन्तकाल दर्ज किया जावे। अपीलांटा को पाबन्द किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.06.2019 को उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2019 को सरे इज... ...खाया जाकर सुनाया गया।

(... राव)
जिला कलक्टर बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official